तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/1/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 07 R 11 प्रस्तुत हुई। वादी (प्रतिवादी-1) द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R 11 (D) CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी वादी के पिता कुंवरपाल से 1500/- रु. में क्रय किया गया था तथा उसके पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा मकानात बनाये गए थे। प्रस्तुत वाद मियाद बाहर है क्योंकि उक्त वाद को प्रस्तुत करने के लिए [illegible] भारतवादी अधिनियम में 12 वर्ष की मियाद निर्धारित है। तथा प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी स्वयं मालिक बन गए हैं। इस आधार पर वादी (प्रतिवादी-1) द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वाद अवधि बाधित होने से खारिज फरमाया जाय। प्रतिवादी (वादी) द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थनापत्र	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में वर्णित तथ्य असत्य, मनगढ़न्त एवं निराधार है। वादपत्र निरस्त फरमाया जावे। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गई। वादी (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रश्नगत प्रार्थनापत्र O7 R 11 (d) CPC के तहत प्रस्तुत किया गया है. O7R 11(d) का आधार निम्न प्रकार है- " where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law " जबकि अपने प्रार्थनापत्र में वादी (प्रतिवादीगण) की प्रार्थना निम्न प्रकार है - " निवेदन है कि उक्त वाद अवैध बोगस होने से खारिज फरमाया जावे। " स्पष्टतया चाही गई राहत O7 R 11 (d) के तहत देय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थनापत्र में उठाए गए अन्य बिन्दुओं का निस्तारण भी विस्तृत	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किरा हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवेचन के आधार पर ही सम्भव है।	

अतः इस वादी (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R 11(d) खारिज किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत वादी (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 07 R 11(d) CPC स्वीकार कर खारिज किया जाना है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही 5/2/25 को पेश हो।

24/1/25

उपखण्ड अधिकारी
कोटा